भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/342
विवि.आरएयूजी.आरईसी.सं.261/23-27-013/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – शाखा प्राधिकरण) निदेश 2025 (15 अप्रैल 2026 को अद्यतन)

विषयसूची

अध्याय-I प्रारंभिक 2
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 2
बी. प्रयोज्यता 2
सी. परिभाषाएँ 4
अध्याय II- शाखा प्राधिकरण 5
ए. शाखाओं को खोलना 5
ए1. भारत में शाखा खोलना 5
ए2. हटाया गया 5
ए3. [3]हटाया गया 5
ए4. विदेश में शाखा खोलना 6
बी. शाखाओं को बंद करना 6
सी. विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलना 6
अध्याय III – निरसन और अन्य प्रावधान 8
ए. निरसन और बचाव 8
बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं 8
सी. व्याख्याएं 8

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय III-बी और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 की धारा 30ए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') को सक्षम करने वाले अन्य सभी उपबंधों/कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, निम्नलिखित निर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय-I प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - शाखा प्राधिकरण) निदेश 2025 कहा जाएगा।

2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. (1) [1]ये निदेश सभी लेयर के लिए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'एनबीएफसी' और व्यक्तिगत रूप से 'एनबीएफसी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) पर लागू होंगे:

   (i) पैरा 5, 10 से 11 और 13 से 15 में निहित प्रावधान एनबीएफसी की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगे:

   (ए) आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-डी;

   (बी) आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी – आईसीसी;

   (सी) फैक्टर विनियमन अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी – फैक्टर;

   (डी) आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी– एमएफआई;

[1] दिनांक 15 अप्रैल 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निदेश 2026 के माध्यम से 15 अप्रैल 2026 को संशोधित किया गया।

(ई) आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी– आईएफसी;

(एफ) आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत आईडीएफ- एनबीएफसी;

(जी) एनएचबी अधिनियम 1987 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एचएफसी।

(ii) पैरा 6 और 12 में निहित प्रावधान आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी और एनएचबी अधिनियम 1987 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत जमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफसी पर लागू होंगे;

(iii) पैरा 10,13 से 15 में निहित प्रावधान आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत सीआईसी पर लागू होंगे;

(2) ये निदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(i) बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण की योजना के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एमजीसी;

(ii) आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत एनबीएफसी के रूप में आरबीआई के साथ पंजीकृत एसपीडी;

(iii) आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी - पी2पी;

(iv) आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी - एए;

(v) आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनओएफएचसी।

नोट - इन निदेशों के तहत प्रयोज्यता एनबीएफसी के लिए विनियामक संरचना के अनुरूप है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए रूपरेखा) निदेश 2025 में निर्धारित किया गया है।

सी. परिभाषाएँ

4. सभी अभिव्यक्तियों, जब तक कि यहां परिभाषित न किया जाए, का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 या उसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन या आरबीआई द्वारा प्रकाशित शब्दों की शब्दावली या वाणिज्यिक बोलचाल में उपयोग किए गए शब्दों के रूप में, जैसा भी मामला हो, के तहत सौंपा गया है।

अध्याय II- शाखा प्राधिकरण

ए. शाखाओं को खोलना

ए1. [2]भारत में शाखा खोलना

5. [2]एनबीएफसी को सामान्यत: आरबीआई के पूर्वानुमोदन के बिना शाखाएं खोलने की अनुमति है, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो।

6. [2] आरबीआई के साथ पंजीकृत जमाराशियां लेने वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – जनता की जमाराशियां स्वीकार करना) निदेश 2025 के अनुसार जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए अन्यथा पात्र एनबीएफसी को निम्नानुसार अनुमति दी जाएगी:

(i) यदि इसकी एनओएफ ₹50 करोड़ तक है या इसकी क्रेडिट रेटिंग एए से नीचे है, तो यह उस राज्य के भीतर शाखा खोल सकती है या एजेंट नियुक्त कर सकती है जहां उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है; तथा

(ii) यदि इसकी एनओएफ ₹50 करोड़ से अधिक है और इसकी क्रेडिट रेटिंग एए या उससे ऊपर है, तो यह भारत में कहीं भी शाखा खोल सकती है या एजेंट नियुक्त कर सकती है।

स्पष्टीकरण: ऐसी एनबीएफसी जिसकी एनओएफ ₹50 करोड़ से अधिक है और क्रेडिट रेटिंग एए से नीचे है, वह केवल उस राज्य के भीतर शाखाएं खोलने के लिए पात्र होगी जहां उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

ए2. [3]हटाया गया

7. [3]हटाया गया।

8. [3]हटाया गया।

ए3. [3]हटाया गया

9. [3]हटाया गया।

---

[2] दिनांक 15 अप्रैल 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निदेश 2026 के माध्यम से 15 अप्रैल 2026 को प्रतिस्थापित किया गया।

[3] दिनांक 15 अप्रैल 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निदेश 2026 के माध्यम से 15 अप्रैल 2026 को हटाया गया।

ए4. विदेश में शाखा खोलना

10. [4]सामान्य नीति के रूप में, एनबीएफसी को विदेश में शाखा खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, ऐसी एनबीएफसी (सीआईसी और एचएफसी को छोड़कर), जिसने वित्तीय कारोबार को करने के लिए पहले से ही विदेश में शाखा(शाखाएं) स्थापित कर ली हैं और इसके बारे में आरबीआई को पहले ही सूचित कर दिया है, उन्हें उनका संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - वित्तीय सेवाओं का परिचालन) निदेश 2025, यथा लागू, का अनुपालन करने के अधीन होगी।

बी. शाखाओं को बंद करना

11. एनबीएफसी को कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र और एक प्रमुख स्थानीय (शाखा/कार्यालय के स्थान को कवर करने वाले) देशी समाचार पत्र में अपनी किसी शाखा/कार्यालय के बंद होने की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले सार्वजनिक सूचना देनी होगी, जिसमें शाखा/कार्यालय के बंद होने के प्रयोजन एवं जमाकर्ताओं की सेवा के लिए की जा रही व्यवस्था, आदि का उल्लेख किया गया हो।

12. जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी को उपर्युक्त के संबंध में नोटिस की प्रति के साथ सूचना, समाचार पत्रों में इसके प्रकाशन के सात दिनों के भीतर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय/ एनएचबी, जिसके अधिकार-क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को भेजनी होगी।

सी. विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलना

13. [5]एनबीएफसी द्वारा विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के मामलों में आरबीआई का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। ऐसे आवेदन *प्रवाह* पोर्टल (https://pravaah.rbi.org.in) का उपयोग करके किए जाएंगे।

14. प्रतिनिधि कार्यालय संपर्क कार्य, बाजार अध्ययन और अनुसंधान करने के प्रयोजन से विदेश में स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐसी गतिविधि को शुरू करने के लिए नहीं होना चाहिए जिसमें निधि का परिव्यय शामिल है। प्रतिनिधि कार्यालय मेजबान देश में विनियामक द्वारा इस

[4] दिनांक 15 अप्रैल 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निदेश 2026 के माध्यम से 15 अप्रैल 2026 को संशोधित किया गया।
[5] दिनांक 15 अप्रैल 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निदेश 2026 के माध्यम से 15 अप्रैल 2026 को संशोधित किया गया।

संबंध में निर्धारित विनियमों, यदि कोई हो, का भी पालन करेंगे। चूंकि यह परिकल्पना नहीं की गई है कि ऐसे कार्यालय संपर्क कार्य के अलावा कोई अन्य गतिविधि करेंगे, इसलिए कोई ऋण व्यवस्था नहीं दी जाएगी।

15. [5]मूल एनबीएफसी विदेश में प्रतिनिधि कार्यालयों द्वारा किए गए कारोबार के बारे में आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करेगी। यदि प्रतिनिधि कार्यालयों ने कोई गतिविधि नहीं की है या ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो इस प्रयोजन के लिए दिए गए अनुमोदनों की समीक्षा की जाएगी/ अनुमोदनों को वापस ले लिया जाएगा।

अध्याय III – निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

16. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू शाखा प्राधिकरण से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।

17. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या अभिस्वीकृतियाँ इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से निम्न पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;

(3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

18. इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके स्थान पर अथवा उनके विरोध में।

सी. व्याख्याएं

19. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, आरबीआई, यदि आवश्यक समझे तो,

इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और आरबीआई द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(मनोरंजन पाढ़ी)
मुख्य महाप्रबंधक